



राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2023/२४३२-२४५४ जयपुर, दिनांक: 11.08.2023

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 30.01.2023, 08.03.2023 व 31.03.2023 द्वारा रबी फसल सम्बत 2079 (वर्ष 2022-23) में फसल खराबे की कराई गई विशेष गिरदावरी एवं नियमित गिरदावरी की राज्य के समस्त जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित 15 जिलों के आगे लिखेनुसार कुल 2588 गांवों में कृषकों की फसलों में ओलावृष्टि से 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है और निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 अगस्त, 2023 तक लागू रहेंगे। साथ ही जिला अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर व कोटा के व्यक्तिगत कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	जिले का नाम	अभावग्रस्त घोषित किये गये गांवों की संख्या
1	अजमेर	01
2	अलवर	42
3	बारां	04
4	बाड़मेर	1310
5	बीकानेर	136
6	बून्दी	06
7	भरतपुर	393
8	धौलपुर	29
9	श्रीगंगानगर	06
10	हनुमानगढ़	56
11	जालौर	292
12	झालावाड	96
13	कोटा	09
14	नागौर	98
15	उदयपुर	110
कुल योग:-		2588

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.सी. किशन)

शासन सचिव

.....लगातार.....

(1)



क्रमांक: एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2023/2832/2856 जयपुर, दिनांक: 11/08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय आ.प्र. एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
15. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
16. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर राजस्थान।
17. जिला कलेक्टर, अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, बीकानेर, बून्दी, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, झालावाड़, कोटा, नागौर व उदयपुर, राजस्थान।
18. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
19. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
20. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
21. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
22. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
23. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं डीएमआईएस पोर्टल खोलने हेतु।
24. सामान्य शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।


शासन उप सचिव

(2)